an>

Title: Regarding reported abolition of house tax by MCD in Delhi.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दिल्ली से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मौका दिया है। आज के अखबार, कल के अखबार और सभी अखबार इस खबर से भरे हुए हैं कि आज जो दिल्ली की सरकार है, अगर वह नगर निगम के चुनाव जीतती है तो हाउस टैक्स को माफ कर देगी। हाउस टैक्स को हटाने का अधिकार इस संसद को है, यह किसी और का अधिकार नहीं है। दूसरा, मैं आपके समक्ष यह विषय भी रखना चाहती हूँ कि संवैधानिक शुचिता, लोकतांत्रिक शुचिता के लिए बहुत आवश्यक है। जिस कोऑपरेटिव फैडरलिज्म की बात हो रही है, वह कोऑपरेटिव फैडरलिज्म क्या दिल्ली में लागू होता है या नहीं होता है? क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट के तहत दिल्ली सरकार को पैसा देती है और वह पैसा राज्य सरकार के अधिकार के अनुसार, जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम हैं, उनको मिलना चाहिए। ये वे लोग हैं, जो कि पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए राजनीति में आए थे, लेकिन ठीक उसका विपरीत इन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने स्वराज के माध्यम से कहा था कि 20 प्रतिशत बजट का हिस्सा लोकल बॉडीज़ को दिया जाएगा। लेकिन जब ये पावर में आए, जब इन्होंने सरकार बनाई तो चौथे फाइनेंस कमीशन के मुताबिक 12 प्रतिशत लोकल बॉडीज़ को मिलना चाहिए था, जो इन्होंने लोकल बॉडीज़ को नहीं दिया। उसका केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, फाइनल स्टेजिस की तरफ है और उस पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। नगर निगम जो पेंशन बांटती थी, डिसएबल्ड को, गरीबों को या विधवाओं को, वह तो बंद करवा दिए। जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ही वह लागू हुआ। अगर इस तरीके का रवैया केंद्र सरकार अख्तियार कर ले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि गाड़ी के पैट्रोल के पैसे भी इन लोगों को नहीं मिलेंगे।

साथ ही एक ऐसी चिट्ठी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जो इस सरकार ने ईस्ट दिल्ली नगर निगम और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम को, 25 जनवरी, 2017 को लिखी थी, इसमें लिखा है कि - Submission of Compliance Report on the terms and conditions of sanction order dated 4th February 2016 for release of loan, non-plan during 2015-16. इस विषय में हुआ यह था कि जो नगर निगम हैं, उनके पास तनख्वाएं देने के लिए पैसे नहीं थे, जो गरीब से गरीब तबका है, सैनिटेशन वर्कर्स का है, जो गरीब शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाओं के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें लोन दे दीजिए ताकि हम इनकी तनख्वाओं का बकाया दे सकें। उस संबंध में 25 जनवरी, 2017 को दिल्ली सरकार ने यह चिट्ठी दोनों नगर निगमों को लिखी और कहा कि - Secretary, Finance and Special Secretary, UD, in the meeting it was decided to release the ways and means loan to both the Corporation, East and North MCDs, to deal with the present crisis of non-payment of salaries. अंत में जो कंडीशंस लगाई थीं, मैं उनमें से केवल दो कंडीशंस पढ़ कर बताना चाहती हूँ कि - The Municipal Corporation will not provide any concession or rebate in taxes, fees or changes levied by them. यह नंबर दो थी और पांचवी कंडीशन यह लगाई थी कि - The Municipal Corporation will reaccess all their schemes and not increase the scope and scheme and its liability, no new scheme to be launched without the approval of the Government of NCT, increase revenue through improved property tax coverage, bring left out properties under property tax, net increase revenue from advertisements, parking remunerative projects. एक तरफ ये खुद आदेश कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा कर अपने पैसे का अनुदान बढ़ाएं और दूसरी तरफ आज उसकी माफी की बात कर रहे हैं, जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार से जो भी कोर्ट के फैसले हैं, हर चीज़ के लिए इन्होंने नगर निगमों को तरसाया है और आज वापस â€¦* बोलने के लिए कमर कस रहे हैं, जो कि संवैधानिक शुचिता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और इसके खिलाफ भी कुछ न कुछ कानून होने चाहिए कि कोई भी राजनैतिक दल इस तरह के â€¦* न बोल सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, म्यूनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव इधर ही होगा।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, होता है। आजकल सब बातें यहीं होने लगी हैं।

श्री राजू शेट्टी जी।